| श्री भंवरलाल स्वर्णकार पूर्व चेयरमेन न0पा0माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा | बनाम | लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ |
|---|---|---|
| –प्रार्थी | | –अप्रार्थीगण |

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सू0अ0अधिनियम–2005 प्रकरण संख्या /2018**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.07.2018 | प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01.08.2018 को पेश हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |
| 1-8-2018 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी दीगर कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 7/8/2018 को पेश हो।<br><br>आदेश से | |
| 7/8/2018 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के नियम 6(1) के तहत कोई आवेदन पत्र PIO के लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के न्यायालय में पेश नही किया है। अपील के साथ उपजिलाधीश माण्डलगढ के समक्ष दि 8/5/2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी फोटो प्रति पेश की है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम | |

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के अन्तर्गत नहीं आता है। सूचना पत्र जारी किया। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि के कारण भी जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम मे कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अत: अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के कार्यालय में सूचना का अधिकारी अधिनियम में कोई आवेदन पेश होना नहीं पाया जाता है। अपील मीमो के साथ उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दि० 8/5/2018 पेश किया जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: अपील अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम की खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड से कम हो।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा